Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 393 / 61(3) व्यघ (196व्यघ)–सामान्य / 17 दिनांक 20/06/2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / राष्ट्रीय राजमार्ग,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषय :– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यों हेतु संविदा के आधार पर तैनात कार्मिकों में से ऐसे 180 कार्मिक, जो हड़ताल में सम्मिलित थे, की संविदा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– शासकीय पत्र संख्या 51005 / III(1) / 2022 / 14359 / EST / 2 / 2022 दिनांक 19.07.2022 .

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासकीय पत्र के माध्यम से विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण, कार्य की आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों **(कुल 180 कर्मी)** को शासनादेश संख्या 379 / XXX (2) / 2018–30(12) / 2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2022–23 के संगत माहों / तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जाने की स्वीकृति शर्तों / प्रतिबन्धों के तहत् प्रदान की गयी थी।

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (कुल 180 कर्मी) को शासनादेश संख्या 379 / XXX(2) / 2018–30 (12) / 2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2023–24 के संगत माहों / तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः आपके एवं अधीनस्थ वृत्त / खण्डीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत उपरोक्त 180 कार्मिकों की सूची संलग्न कर उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं संविदा के सम्बन्ध में संलग्न प्रारुप के अनुसार विगत वर्ष 2022–23 में सम्पादित किये गये कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण–पत्र एवं विगत वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र (मूल में) संकलित कर विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा विभाग छोड़ दिया गया हो उसकी सूचना भी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

संलग्नः– यथोपरि (180 कार्मिकों की सूची एवं प्रारुप)

20/6/23
(उपेन्द्र सिंह रावत)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठान)
20/6/23

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को प्रारुप की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चाही गयी सूचना उपरोक्तानुसार संकलित कर उचित माध्यम से इस कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

1. अधीक्षण अभियन्ता, ... वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,.......................................।
2. अधिशासी अभियन्ता, ...खण्ड, लोक निर्माण विभाग,................................।

संलग्नः–यथोपरि(प्रारुप)

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को प्रारुप की प्रति सहित पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठान)

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
''व्यवस्थापन 'घ' वर्ग'' उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 393 / 61(3) व्यघ (196व्यघ)–सामान्य / 17 दिनांक 20 / 06 / 2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय / राष्ट्रीय राजमार्ग,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषय :– **लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यों हेतु संविदा के आधार पर तैनात कार्मिकों में से ऐसे 180 कार्मिक, जो हड़ताल में सम्मिलित थे, की संविदा अवधि विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :– शासकीय पत्र संख्या 51005 / III(1) / 2022 / 14359 / EST / 2 / 2022 दिनांक 19.07.2022 .

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासकीय पत्र के माध्यम से विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी के कारण, कार्य की आवश्यकता के अनुसार संविदा के आधार पर कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों **(कुल 180 कर्मी)** को शासनादेश संख्या 379 / XXX (2) / 2018–30(12) / 2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2022–23 के संगत माहों / तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक नये अनुबन्ध के आधार पर आबद्ध किये जाने की स्वीकृति शर्तों / प्रतिबन्धों के तहत् प्रदान की गयी थी।

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 167 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 8 कर्मियों, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 3 कर्मियों एवं कनिष्ठ अभियन्ता (यॉत्रिक) के कार्यों हेतु आबद्ध रहे 2 कर्मियों (कुल 180 कर्मी) को शासनादेश संख्या 379 / XXX(2) / 2018–30 (12) / 2018 दिनांक 29.10.2021 के प्रस्तर–12(2) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कलैण्डर वर्ष 2023–24 के संगत माहों / तिथि से, उनसे लिये जाने वाले कार्य की समाप्ति तक अथवा नियमित चयन के माध्यम से नियुक्त किये जाने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा 11 माह, जो भी पहले हो, तक संविदा विस्तारित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः आपके एवं अधीनस्थ वृत्त / खण्डीय कार्यालयों में संविदा के आधार पर कार्यरत उपरोक्त 180 कार्मिकों की सूची संलग्न कर उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं संविदा के सम्बन्ध में संलग्न प्रारुप के अनुसार विगत वर्ष 2022–23 में सम्पादित किये गये कार्य का सन्तोषजनक प्रमाण–पत्र एवं विगत वर्ष की सत्यनिष्ठा प्रमाण–पत्र (मूल में) संकलित कर विलम्बतम एक सप्ताह के भीतर विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्य रुप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिन कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा विभाग छोड़ दिया गया हो उसकी सूचना भी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।

संलग्नः– यथोपरि (180 कार्मिकों की सूची एवं प्रारुप)

(उपेन्द्र सिंह रावत)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठान)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को प्रारुप की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि चाही गयी सूचना उपरोक्तानुसार संकलित कर उचित माध्यम से इस कार्यालय को समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें।

1. अधीक्षण अभियन्ता, ... वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,...................................... ।
2. अधिशासी अभियन्ता, ...खण्ड, लोक निर्माण विभाग,.............................. ।

संलग्नः–यथोपरि(प्रारुप)

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को प्रारुप की प्रति सहित पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठान)

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... जो कि इस कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (..............................) के पद पर संविदा के रूप में कार्यरत है के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है, जो कि इनकी सत्यनिष्ठा में संशय उत्पन्न करता हो तथा इनकी दिनांक .... से .... तक की सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम
कार्यालय का नाम

सन्तोषजनक कार्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... जो कि इस कार्यालय में कनिष्ठ अभियन्ता (..............................) के पद पर संविदा के रूप में कार्यरत है द्वारा दिनांक .... से .... तक किये गये कार्य सन्तोषजनक श्रेणी के है। उक्त अवधि में इनके विरूद्व कोई जॉच/अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचालित नहीं है।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम
कार्यालय का नाम